संख्या-14/2023/729ई-2/तेरह-2023-1646845

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ.दिनांक 11 अप्रैल, 2023

विषय:-उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवां संशोधन), 2019 के नियम-7 के अनुसार यवासवनियों की अधिष्ठापित क्षमता पर वार्षिक लाइसेंस फीस लिये जाने का प्राविधान हो जाने के कारण प्रदेश में कार्यरत यवासवनियों की अधिष्ठापित क्षमता निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-323/दो-प्रा.डी.-202, दिनांक 10-03-2023 तथा प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 06-04-2023 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या-710ई-2/तेरह-2023-1646845, दिनांक 10-04-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 10-03-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मे. अनहाउजर बुश इनबेव इण्डिया लि. (इकाई सेन्ट्रल डिस्टिलरी एण्ड ब्रिवरीज लि.), मेरठ की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 42,000 कि.ली. निर्धारित किये जाने, मे. मोहन मीकिन्स लि., मोहननगर, गाजियाबाद की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 45,080 कि.ली. निर्धारित किये जाने एवं मे. मानव ब्रिवरीज लि., गाजियाबाद की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 46,667 कि.ली. निर्धारित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) उपर्युक्त संबंधित यवासवनियों द्वारा बीयर का उत्पादन उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ से जल एवं वायु हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित उत्पादन क्षमता एवं शर्तों के अधीन किया जायेगा।

(2) उपर्युक्त यवासवनियों द्वारा उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवां संशोधन) नियमावली, 2019 में उल्लिखित समस्त संगत नियमों एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों, नियमावलियों में उल्लिखित व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(4) यवासवनियों द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) यवासवनी द्वारा बढ़ी हुई क्षमता से उत्पादन किये जाने हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों, नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति, अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(6) आबकारी आयुक्त द्वारा अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यवासवनी पर राजस्व बकाया नहीं है।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।